

महेंद्र आवासे

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

17 जनवरी 2025

[अभय एस. ओका और के वी विश्वनाथन, न्यायमूर्तिगण ]

---

### विचारणीय विवाद्यक

---

"क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपिलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करना, उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के अधीन अपराधों से विमुक्त करने हेतु, न्यायसंगत था?

---

### हेडनोट्स

---

**"भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 306 – आत्महत्या के लिए उकसाना – अपिलार्थी के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत आरोप निर्धारित – क्या अपिलार्थी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया:**

**अभिनिर्धारित:** नहीं – धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए का आरोप है, उसने सक्रिय भूमिका निभाई हो, चाहे वह दुष्प्रेरण के कार्य द्वारा हो अथवा आत्महत्या की घटना की सहायता हेतु कोई कार्य करके – ऐसा दुष्प्रेरण का कार्य अभियोजन द्वारा सिद्ध और स्थापित किया जाना आवश्यक है – आगे, दुष्प्रेरण की आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु, अभियुक्त ने अपने कार्य अथवा उपेक्षा अथवा निरंतर आचरण द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न बचा हो – आत्महत्या-लेख से यह प्रकट हुआ कि अपिलार्थी मृतक से उस ऋण की अदायगी की माँग कर रहा था, जिसकी प्रत्याभूति मृतक ने दी थी और जो 'आर.एम.' को अग्रिम रूप से दिया गया था – अतः अपिलार्थी द्वारा अपने नियोक्ता के आदेश पर बकाया ऋण वसूलने का कर्तव्य निभाना मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के रूप में नहीं माना जा सकता – अपिलार्थी का आत्महत्या कराने का कोई आशय नहीं था – यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अपिलार्थी ने अपने कार्यों द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं

जिनसे मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न बचा हो – मृतक के साथ हुए संवाद, यद्यपि तीव्र थे, परंतु उनका उद्देश्य मृतक को आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न छोड़ना नहीं था – साथ ही, प्राथमिकी भी दो माह और बीस दिन की विलंब के बाद दर्ज की गई – अपिलार्थी के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने का कोई आधार नहीं था – दोषमुक्त – कार्यवाही निरस्त, समाप्त – विवादित आदेश भी निरस्त। [पैरा 16, 19, 21]"

**"भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 306 – आत्महत्या के लिए उकसाना – धारा 306 को आकर्षित करने हेतु सीमा अधिक कठोर – आरोपों का यांत्रिक रूप से निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, न्यायालयों को सावधानी बरतनी चाहिए – पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए:**

**अभिनिर्धारित :** धारा 306 का प्रयोग पुलिस द्वारा सामान्यतः और अत्यधिक सहजता से किया जाता है – जहाँ वास्तविक मामलों में सीमा पूरी होती है वहाँ अभियुक्तों दंड से नहीं बचना चाहिए, किन्तु इस प्रावधान का प्रयोग केवल मृतक के शोकाकुल परिवार की तात्कालिक भावनाओं को शांत करने हेतु व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए – प्रस्तावित अभियुक्त और मृतक का आचरण, उनकी परस्पर क्रियाएँ और मृतक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पूर्व हुई वार्तालापों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और जीवन की दैनिक वास्तविकताओं से पृथक नहीं किया जाना चाहिए – संवादों में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, यदि अन्य कोई ठोस तत्व न हो, तो आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं की जानी चाहिए – जाँच एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि व्यक्तियों को पूर्णतः अस्थिर अभियोजन की प्रक्रिया के दुरुपयोग का शिकार न होना पड़े – परीक्षण न्यायालयों को भी अत्यधिक सावधानी और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और केवल सुरक्षित खेल की प्रवृत्ति अपनाकर यांत्रिक रूप से आरोप निर्धारित नहीं करने चाहिए, विशेषकर जब जाँच एजेंसियों ने धारा 306 के तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की हो – भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धाराएँ 108, 45। [पैरा 20]

**भारतीय दंड संहिता, 1860 – धाराएँ 306, 107 – धारा 306 का तत्व – कब लागू होता है – विवेचित।"**

---

### उद्धृत न्याय दृष्टांत

---

"स्वामी प्रहलाददास विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य (1995) Supp. 3 SCC 438; मदन मोहन सिंह विरुद्ध गुजरात राज्य एवं अन्य [2010] 10 SCR 351: (2010) 8 SCC 628; अमलेंदु पाल उर्फ इंटू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य [2009] 15 SCR 836 : (2010) 1 SCC 707;

एम. मोहन विरुद्ध राज्य [2011] 3 SCR 437 : (2011) 3 SCC 626;  
रमेश कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य [2001] Supp. 4 SCR 247: (2001) 9 SCC 618 – संदर्भित।"

---

### अधिनियम की सूची

---

भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय न्याय संहिता, 2023

---

### कुंजी-शब्द की सूची

---

धारा 306, दंड संहिता, 1860; आत्महत्या का दुष्प्रेरण; उकसाना; सक्रिय भूमिका; आशय; सहायता;  
उकसाना; दुष्प्रेरित करना; आत्महत्या के अलावा कोई अन्य विकल्प न होना; ऋण; बकाया ऋण  
वसूलना; धारा 306 के अवयव; धारा 306, दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत आरोप; उन्मोचित

---

### मामला जहां से उद्धृत

---

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 221 आपराधिक अपील संख्या :/2025  
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के दिनांक 25.07.के निर्णय एवं आदेश से 2023, सी.आर.आर.  
संख्या 1142/2023

---

### पक्षकारों की और से अधिवक्ता

---

प्रदीप कुमार यादव, सुश्री अंजले कुमारी, विशाल ठाकरे, गोपाल सिंह, संजीव मल्होत्रा, सलाहकार।  
अपिलार्थी की और से अधिवक्ता  
अभिमन्यु सिंह, पशुपति नाथ राजदान, दीपक राज, प्रत्यर्थी की और से अधिवक्ता

---

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/ आदेश

---

#### निर्णय

के. वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई ।
2. वर्तमान अपील दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश एवं निर्णय, आपराधिक पुनरीक्षण सं. 1142/2023, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, इंदौर को चुनौती देती है। उक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने अपिलार्थी की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि उसे भारतीय दंड संहिता

(‘द .प्र.स.’ संक्षेप मे ) की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से विमुक्त किया जाए, तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2023 को निर्धारित आरोपों को यथावत बनाए रखा।

### **संक्षिप्त तथ्य:**

3. दिनांक 31.12.2022 को थाना मैनगाँव में धर्मेन्द्र की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सूचक ने बताया कि उसका भाई भगवान सिंह अपने पुत्र रंजीत चौहान के साथ उसके घर के समीप निवास कर रहा था; कि दिनांक 11.10.2022 को रंजीत प्रातः लगभग 10 बजे अपने मोटरसाइकिल से खेत जाने हेतु घर से निकला; कि जब वह दोपहर लगभग 2 बजे तक घर वापस नहीं लौटा तो उसने उसे फोन किया, किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ; कि उसके भतीजे शिवम चौहान और कुलदीप चौहान ने रंजीत की खोज प्रारम्भ की और खोजते हुए रँगाँव की ओर गए। वहाँ उन्हें सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली और समीप में खोज करने पर, सायं लगभग 6 बजे, उन्होंने रंजीत को बोरगाँव नाले के किनारे एक वृक्ष से रस्सी के फंदे पर लटका हुआ पाया, जो मोटरसाइकिल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। सूचक ने आगे बताया कि उसने भगवान सिंह – रंजीत सिंह के पिता – को इसकी सूचना दी।
4. कि धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गई पंचनामा कार्यवाही के दौरान एक लिखित आत्महत्या-लेख तथा एक मोबाइल प्राप्त हुआ। आत्महत्या- लेख में मृतक द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उसे अपिलार्थी – महेन्द्र अवासे – द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। गवाहों के कथन दर्ज किए गए। तत्पश्चात दिनांक 21.01.2023 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपपत्र में यह उल्लेखित था कि अपिलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों किया है।"
5. आत्महत्या लेख में निम्न लेख था –

"मैं, रंजीत सिंह, पुत्र भगवान सिंह चौहान, "अस्पष्ट", अपना जीवन स्वयं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि जीवन मेरी समस्याओं को दूर करने में मेरी सहायता नहीं कर रहा है, जिसके कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है।

मैंने एक ऋण रितेश मलाकर के लिए लिया था, जिसमें गवाह के रूप में मेरे चेक संलग्न किए गए थे। इसी कारण से अवासे, जो ऋण देने और लेने का कार्य करता है, मुझे अत्यधिक प्रताड़ित कर रहा है। इसी कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है।

हस्ताक्षर

रंजीत सिंह

10.10.2022

(जोर दिया गया )

आत्महत्या लेख के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि गवाहों के कथन दर्ज किए गए, जिनसे यह तथ्य सामने आया कि मृतक पिछले कुछ माह से मानसिक रूप से व्यथित था और जब उससे पूछा गया तो उसने उन्हें बताया कि अपिलार्थी महेन्द्र अवासे उसे उस ऋण की अदायगी के संबंध में प्रताड़ित कर रहा था, जो रितेश मलाकर ने श्री साख सहकारी समिति लिमिटेड, खरगोन से लिया था।"

6. यह भी स्पष्ट होता है कि फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने मृतक और अपिलार्थी के बीच हुई वार्तालाप की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि की। उक्त वार्तालाप के प्रतिलेख भी प्रस्तुत किए गए।
7. प्रतिलेख पंचनामा से उपलब्ध इस प्रकार उद्धृत हैं:

**‘वक्ता 1:** मृतक शुंभम @ रंजीत, पुत्र भगवान सिंह चौहान, जाति राजपूत, आयु 26 वर्ष, निवासी टेमला।

**वक्ता 2:** महेन्द्र अवासे, निवासी जानकी नगर, खरगोन।

मोबाइल से प्राप्त डाटा, साइबर फॉरेंसिक यूनिट, खरगोन द्वारा परीक्षण किया गया और उपर्युक्त पेन ड्राइव (DGNET 24 GB, F22) में संरक्षित किया गया, जो लैब केस 80-22>2022 12-05. 16-22-36>Lab Case 80-22 Exbt. A> files>recorded Audio में AUD-20221010-WA0007 नामक फाइल के रूप में उपलब्ध है। यह फाइल दिनांक 10.10.2022 को प्रातः 07:26 बजे तैयार की गई थी, जिसका आकार 151 KB है, और उपर्युक्त पंचों के समक्ष प्रस्तुत कर उसका प्रतिलेखन निम्नानुसार किया गया।"

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| वक्ता 1 | साहब, शाम को... शाम को... मुझे जाने दीजिए कम से कम। |
|---------|-----------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वक्ता 2 | चलो। (***** अपमानजनक भाषा)। अब मुझे बताओ कि हमें शाम को जाना है या नहीं? हाँ, हमें शाम को जाना है। भैया, आप कब से जाने वाले हैं? जब मैंने फोन किया तभी आपको ध्यान आया कि हमें शाम को जाना है।                                                        |
| वक्ता 1 | नहीं, वह मुझे रास्ते में दो बार मिला है। अब मैं उसके घर जा सकता हूँ और वहीं उसे समझा सकता हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैंने उसे यह भी कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। प्रिय, मेरे पास केवल 30-35 हजार रुपये हैं। आप उसे दे दीजिए और मुक्त हो जाइए। |
| वक्ता 2 | तुम मुझे क्या सुना रहे हो? तुम पैसे कहाँ से दोगे? (***** अपमानजनक भाषा)।                                                                                                                                                                             |
| वक्ता 1 | जी साहब।                                                                                                                                                                                                                                             |
| वक्ता 2 | उसे कहो कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।                                                                                                                                                                                                          |
| वक्ता 1 | आपने लिया है और अब आप वापस कर दीजिए। बस इतना ही।                                                                                                                                                                                                     |
| वक्ता 2 | सुनो, यदि तुम आज नहीं दे रहे हो तो कल सुबह 11:00 बजे कार्यालय में ₹11,800/- जुर्माने सहित जमा कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं हूँ। यदि तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं अपनी प्राधिकरण को बता दूँगा।                     |
| वक्ता 1 | नहीं, नहीं साहब। यह हमारा कर्तव्य है।                                                                                                                                                                                                                |
| वक्ता 2 | तुम कल पैसा दोगे क्योंकि तुमने इसका वचन दिया था।                                                                                                                                                                                                     |
| वक्ता 1 | जी साहब                                                                                                                                                                                                                                              |
| वक्ता 2 | अन्यथा, मैं पंप पर आ जाऊँगा। तुम जितना भाग सकते हो, भाग लो।                                                                                                                                                                                          |

(जोर दिया गया )

### नमूना प्रतिलेख

वक्ता-2 – अभियुक्त/संदिग्ध का नाम: महेन्द्र, पिता घनश्याम अवासे, आयु 27 वर्ष, निवासी जानकी नगर, खरगोन।

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| वक्ता 2 | चलो। (***** अपमानजनक भाषा)। अब मुझे बताओ कि हमें शाम |
|---------|------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | को जाना है या नहीं? हाँ, हमें शाम को जाना है। भैया, आप कब से जाने वाले हैं? जब मैंने फोन किया तभी आपको ध्यान आया कि हमें शाम को जाना है।                                                                                                                                                             |
| वक्ता 2 | तुम मुझे क्या सुना रहे हो? तुम पैसे कहाँ से दोगे? (***** अपमानजनक भाषा)।                                                                                                                                                                                                                             |
| वक्ता 2 | उसे कहो कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वक्ता 2 | सुनो, यदि तुम आज नहीं दे रहे हो तो कल सुबह 11:00 बजे कार्यालय में ₹11,800/- जुर्माने सहित जमा कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं हूँ। यदि तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं अपनी प्राधिकरण को बता दूँगा।                                                                     |
| वक्ता 2 | तुम कल पैसा दोगे क्योंकि तुमने इसका वचन दिया था।                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वक्ता 2 | अन्यथा, मैं पंप पर आ जाऊँगा। तुम जितना भाग सकते हो, भाग लो।                                                                                                                                                                                                                                          |
| वक्ता 2 | इसके बाद मैं घर आऊँगा। पड़ोसी लोग यह कहानी सुनेंगे। मैं तुम्हारे घर पर बैनर लगाऊँगा। बात खत्म                                                                                                                                                                                                        |
| वक्ता 2 | तुमने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि इस व्यक्ति ने ऋण प्राप्त किया है और अब उसका पता नहीं चल रहा है। तुम आकर मुझसे मिल सकते हो और देख सकते हो कि कुछ लोगों ने यह लिख दिया है। यदि मैं इसे लिखवा दूँ तो यह उचित नहीं होगा। इससे तुम्हारे माता-पिता की मर्यादा भी आहत होगी। |
| वक्ता 2 | तब तुम पैसा जमा कर सकते हो। (** अपमानजनक भाषा)। तुम मेरा पैसा वापस कर दो। बस इतना ही। तुम जाओ और व्यवस्था करो।                                                                                                                                                                                       |

8. अपिलार्थी ने कार्यवाही से विमुक्त किए जाने की प्रार्थना की। तथापि, उपलब्ध सामग्री के आधार पर, दिनांक 28.02.2023 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खरगोन ने निम्नलिखित आरोप निर्धारित किए:

“दिनांक 11.10.2022 को लगभग 10:00 बजे से 18:00 बजे के बीच तथा उससे पूर्व, आपने मृतक रंजीत चौहान को रँगाँव रोड, बोरगाँव नाले के किनारे, टेमला, जिला खरगोन, थाना मैनगाँव में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसे आत्महत्या करने के लिए विवश किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने

फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपका उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय है।”

9. आरोप निर्धारित किए जाने के आदेश से आहत होकर अपिलार्थी ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, किन्तु उक्त आदेश द्वारा याचिका निरस्त कर दी गई। इससे आहत होकर अपिलार्थी हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है।
10. हमने श्री प्रदीप कुमार यादव, अपिलार्थी के अधिवक्ता तथा श्री अभिमन्यु सिंह, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और वाद अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 इस प्रकार है:

**‘306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण** – यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

12.. भारतीय दंड संहिता की धारा 107 इस प्रकार है:

**107. किसी बात का दुष्प्रेरण** – वह व्यक्ति किसी बात किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –

प्रथम – किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाता है; या

द्वितीय – उस बार को करने के लिए किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, या

तृतीय – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है’

जैसा कि इन धाराओं की सरल भाषा से स्पष्ट है, धारा 306 के तत्वों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने आत्महत्या के संपादन का दुष्प्रेरण किया हो। कोई व्यक्ति किसी कार्य का दुष्प्रेरण करता है, जो – प्रथम – किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाता है; या द्वितीय – उस बार को करने के लिए किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, या तृतीय – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है’

**13. स्वामी प्रह्लाददास विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य [1995 Supp (3) SCC 438] में**

यह तथ्य सामने आया कि अपिलार्थी ने मृतक से कहा था “*मर जा*” तथा मृतक ने तत्पश्चात आत्महत्या कर ली। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि:

“3. ...ये शब्द सामान्य प्रकृति के हैं, जो प्रायः झगड़ने वाले व्यक्तियों के बीच आवेश में प्रयुक्त हो जाते हैं। इनके बाद कोई गंभीर परिणाम अपेक्षित नहीं होता। उक्त कथन से आवश्यक “*आपराधिक मनःस्तिथि*” (अपराध हेतु आवश्यक मानसिक तत्व) परिलक्षित नहीं होता, यह मानकर कि ऐसे शब्द हर स्थिति में क्रियान्वित किए जाएंगे। ...”

**14. मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (2010) 8 SCC 628 में माननीय**

सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने हेतु, धारा 107 में परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण अभियुक्त के पक्ष से होना आवश्यक है, और वह भी इस नियत उद्देश्य के साथ कि उक्त दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति आत्महत्या करे। न्यायालय ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि धारा 306 को आकर्षित करने के लिए अभियुक्त की यह अवश्यंभावी मंशा होनी चाहिए कि वह मृतक को आत्महत्या करने में सहायता दे, उसे दुष्प्रेरण अथवा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे।

**15. अमलेंद्रु पाल उर्फ इंद्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 SCC 707 में माननीय**

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रतिपादित किया:

“12. अतः इस न्यायालय ने निरंतर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषी ठहराने से पूर्व न्यायालय को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पीड़िता को दी गई क्रूरता एवं उत्पीड़न ने उसे जीवन समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के लिए कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरण करने वाले कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है। केवल उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, बिना किसी सकारात्मक कार्यवाही जो घटना के समय के निकट अभियुक्त द्वारा की गई हो और जिसने पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि निर्वाहीय नहीं है।” (जोर दिया गया)

**16.** धारा 306 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत किसी मामले को लाने के लिए यह आवश्यक है कि आत्महत्या का घटित होना सिद्ध हो और उक्त अपराध के संपादन में जिस व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप है, उसने सक्रिय भूमिका निभाई हो, चाहे वह उत्प्रेरण के कृत्य द्वारा हो या आत्महत्या को पूर्ण करने में सहायक कोई कार्य करके। अतः जिस व्यक्ति पर उक्त अपराध का आरोप है, उसके द्वारा किए गए दुष्प्रेरण के कृत्य को अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत सिद्ध और स्थापित किया जाना अनिवार्य है, तभी उसे धारा 306 IPC के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है।

**17.एम मोहन विरुद्ध राज्य (2011) 3 SCC 626** में सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 SCC 618** का अनुसरण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि “दुष्प्रेरण” की विभिन्न व्याख्याओं का परीक्षण किया गया था।

पैरा 20 (एस. सी. सी. पृ. 629) में न्यायालय ने कहा:

“20. दुष्प्रेरण का अर्थ है किसी को उकसाना, आगे बढ़ाना, भड़काना, प्रेरित करना अथवा प्रोत्साहित करना ताकि वह कोई ‘कृत्य’ करे। दुष्प्रेरण की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का प्रयोग किया ही जाए या जो दुष्प्रेरण कहलाए वह अनिवार्य रूप से परिणाम का संकेत दे। तथापि परिणाम को उकसाने की एक यथोचित निश्चितता अभिव्यक्त होनी चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्त ने अपने कृत्यों या लोप या निरंतर आचरण द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा हो, ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरण अनुमानित किया जा सकता था। क्रोध या भावावेश में बोले गए शब्द, बिना इस आशय के कि उनके परिणामस्वरूप वास्तव में आत्महत्या होगी, दुष्प्रेरण नहीं कहे जा सकते।”

इस मामले में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपिलार्थी-अभियुक्त ने अपनी पत्नी सीमा को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था।

तत्पश्चात्, इस न्यायालय ने **मोहन (उपर्युक्त)** में यह प्रतिपादित किया:

“45. विधायिका की मंशा तथा इस न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु अपराध करने की स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कोई सक्रिय कृत्य अथवा प्रत्यक्ष कृत्य होना चाहिए जिसने मृतक को आत्महत्या करने

के लिए विवश कर दिया हो, जब उसे कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न रहा हो। और यह कृत्य इस आशय से किया गया होना चाहिए कि मृतक को ऐसी स्थिति में धकेला जाए कि वह आत्महत्या कर ले।" ( जोर दिया गया)

**18.** जैसा कि उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है, दुष्प्रेरण की आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपने किसी कृत्य अथवा लोप, या निरंतर आचरण द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न बचा हो। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया कि क्रोध अथवा भावावेश में बोले गए शब्द, यदि उनके परिणामस्वरूप आत्महत्या होने का वास्तविक आशय न हो, तो उन्हें दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता।

**19.** उपर्युक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपिलार्थी के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। यह स्थिति तब भी बनी रहती है जब अभियोजन पक्ष के मामले को डि-मरर पर तथा उसके उच्चतम स्तर पर स्वीकार कर लिया जाए। आत्महत्या-लेख का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपिलार्थी मृतक से केवल उस ऋण की अदायगी की मांग कर रहा था, जो मृतक ने रितेश मलाकर के पक्ष में गारंटी के रूप में लिया था। यह नहीं कहा जा सकता कि अपिलार्थी ने अपने नियोक्ता के निर्देशानुसार बकाया ऋण की वसूली का दायित्व निभाते हुए मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया। यही स्थिति उन प्रतिलिपियों के संबंध में भी है, जिनका उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि यदि उन्हें शाब्दिक रूप से लिया जाए, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि अपिलार्थी का उद्देश्य आत्महत्या के संपादन हेतु मृतक को दुष्प्रेरित करना था। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अपिलार्थी के कृत्यों ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं जिनसे मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न रहा हो। अपिलार्थी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृतक के साथ हुए संवाद, यद्यपि तीव्र और विवादास्पद थे, किन्तु उनका उद्देश्य मृतक को आत्महत्या के लिए विवश करना नहीं था। यह निष्कर्ष हम यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, संदर्भ और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निकालते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी भी दो माह और बीस दिन की विलंब अवधि के पश्चात दर्ज की गई है।

**20.** माननीय न्यायालय ने, पिछले कई दशकों में बार-बार यह प्रतिपादित किया है कि धारा 306 भारतीय दंड संहिता (अब धारा 108 सपठित धारा 45, भारतीय न्याय संहिता, 2023,)

को आकर्षित करने हेतु विधि द्वारा निर्धारित उच्चतर मानक अनिवार्य है। तथापि, व्यवहार में इसका अनुपालन कम ही हुआ है। धारा 306 IPC का प्रयोग पुलिस द्वारा प्रायः सहज और अत्यधिक तत्परता से किया जाता प्रतीत होता है। जहाँ वास्तविक मामलों में यह उच्चतर मानक पूरा होता है, वहाँ अभियुक्तों को दंड से नहीं बचना चाहिए; किन्तु इस प्रावधान का प्रयोग केवल मृतक के शोकाकुल परिवार की तात्कालिक भावनाओं को शांत करने हेतु व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित अभियुक्त और मृतक का आचरण, उनकी परस्पर बातचीत और मृतक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पूर्व की परिस्थितियों का मूल्यांकन व्यावहारिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, न कि जीवन की दैनिक वास्तविकताओं से पृथक होकर। संवादों में प्रयुक्त अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों को, बिना किसी ठोस आधार के, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि जाँच एजेंसियों को इस न्यायालय द्वारा धारा 306 के अंतर्गत प्रतिपादित विधि के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, ताकि व्यक्तियों को निराधार अभियोजन की प्रक्रिया के दुरुपयोग का शिकार न होना पड़े। इसी प्रकार, परीक्षण न्यायालयों को भी अत्यधिक सावधानी और विवेक का प्रयोग करना चाहिए तथा केवल “सुरक्षित खेल” अपनाते हुए यांत्रिक रूप से आरोप निर्धारित नहीं करने चाहिए, विशेषकर तब जब जाँच एजेंसियों ने किसी मामले में धारा 306 के आवश्यक तत्वों की घोर उपेक्षा की हो।

**21.** उपर्युक्त कारणों से हम यह ठहराते हैं कि अपिलार्थी के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। अतः, हम अपिलार्थी को सत्र प्रकरण क्रमांक 19/2023, जो प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खरगोन जिला, मण्डलेश्वर के अभिलेख पर लंबित है, की कार्यवाही से मुक्त करते हैं तथा उक्त कार्यवाही को निरस्त एवं निराधारित करते हैं। अपील स्वीकार की जाती है और दिनांक 25.07.2023 को उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 1142/2023 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

**22.** मामले का परिणाम: अपील स्वीकार।

**अस्वीकरण** – स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।

अनुवादन द्वारा – प्रशांत वर्मा